UPM0010060662026

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0–4, मुरादाबाद।

पीठासीन अधिकारी– अंचल लवानियॉ (एच0जे0एस0)– यू0पी0–2411

प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1646/2026

नमन चौहान आयु करीब 23 वर्ष, पुत्र ब्रिजेश सिंह, निवासी हाउस नम्बर, पुतली घर रोड पानी की टंकी के पास, थाना मझोला, जिला मुरादाबाद।

.....आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उ0प्र0राज्य द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी), मुरादाबाद।

.....अभियोजन पक्ष।

मुकदमा अपराध संख्या–453/2025
धारा–115(2), 351(2), 352, 109(1), 3(5), बी0एन0एस0
थाना–मझोला, जिला मुरादाबाद।

1. यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक/अभियुक्त नमन चौहान की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–453/2025, धारा–115(2), 351(2), 352, 109(1), 3(5), बी0 एन0 एस0, थाना–मझोला, जिला मुरादाबाद में प्रस्तुत किया गया है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा मुकुल द्वारा अभियुक्तगण दीपक टुंटा, किशन उर्फ किल्ली, मयंक उर्फ स्वीटी एवं अमन के विरूद्ध इस आशय की प्राथमिकी दर्ज करायी गयी कि दिनांक 17–05–2025 को समय शाम 8.30 बजे दुर्गा गार्डन के सामने राम लीला मैदान के पैडियों पर बैठे थे, तभी वहॉ पर दीपक टुंटा, किशन उर्फ किल्ली, मयंक उर्फ स्वीटी, व अमन निवासी लाइनपार मील गेट व प्रकाश नगर आ गये और आते ही गाली गलौच करने लगे। उसने गाली देने से मना किया तो मारपीट करने के साथ– साथ दीपक उर्फ टुंटा, किशन उर्फ किल्ली ने चाकू निकालकर जान से मारने की नीयत से चाकुओं से जानलेवा हमला कर दिया। उनके चाकुओं के प्रहार से गम्भीर चोटें आये, जिसमें मुकुल के गले पर वार करने का प्रयास किया, जिससे मुकुल ने अपने बचाव में सीधे हाथ का प्रयोग किया, जिससे उसके हाथ में चाकू आर– पार हो गया एवं दीपक के सिर पर हमला किया, जिसमें सिर में ऑख के पास बाई ओर चाकुओं द्वारा गम्भीर चोट आयी। घटना स्थल पर चीखें सुनकर बचाने के प्रयास में मोनू व मोहित और कई लोग आ गये, जिन्हें देखकर हमलावर घटना स्थल से फरार हो गये, जान से मारने की धमकी देते हुये। उक्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत होकर विवेचनाधीन हुआ।

3. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर बल देते हुए तर्क दिया कि, उक्त मुकदमे में प्रार्थी को माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से स्टे प्राप्त हो चुका है। प्रार्थी को रंजिश की बिनाह पर गलत व झूठा फंसाया गया है। वह निर्दोष है। मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट बनावटी एवं आधारहीन तथ्यों पर दर्ज की गयी है। उसने किसी भी व्यक्ति के साथ कोई गाली गलौच, मारपीट आदि नहीं की है और न ही किसी के

साथ मिलकर जान से मारने की कोशिश की एवं न ही जान से मारने की नीयत से हमला किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्शायी गयी घटना पुलिस से हमसाज होकर झूठा फंसाने की नीयत से लिखाई गयी है। वादी व प्रार्थी के मध्य पूर्व से विवाद चल रहा था, जिस कारण वादी ने दबाव बनाने के उद्देश्य से झूठा मुकदमा दर्ज कराया है। उसने इस प्रकार का कोई अपराध कारित नहीं किया है, जैसा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्शाया गया है। उक्त प्रकरण से प्रार्थी का कोई लेना– देना नहीं है। उसने माननीय उच्च न्यायालय में क्रि0 मि0 रि0 पिट नम्बर 18971/2025 दाखिल की थी, जिसमें दिनांक 09–09–2025 को चार्जशीट तक स्टे आदेश पारित किया गया। वह मेहनत मजदूरी का कार्य करता है और चल व अचल सम्पत्ति है तथा उसका पूरा परिवार है, जिस कारण देश छोड़कर जाने की सम्भावना नहीं है। वह पूर्व से सजायाफ्ता नहीं है। आवेदक/अभियुक्त जांच व विचारण में सहयोग करेगा तथा अग्रिम जमानत हेतु निर्धारित विधिक शर्तों का पूर्णतः पालन करेगा। न्यायालय की अनुमति के बिना भारत राष्ट्र से बाहर नहीं जायेगा। इस प्रकार आवेदक/अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने का अनुरोध किया गया है।

4. अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा अग्रिम जमानत का पुरजोर विरोध किया गया है।

5. अभियोजन की ओर से आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध कोई आपराधिक प्रकरण पंजीकृत होना नहीं बताया गया है।

6. आवेदक/अभियुक्त एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी को सुना तथा सम्बन्धित प्रपत्रों का सम्यक अवलोकन किया।

7. उपरोक्त के संदर्भ में भारतीय न्याय संहिता, 2023 की आरोपित धाराओं को उद्धरत किया जाना समाचीन होगा :–

Section- 115(2) Whoever, except in the case provided for by sub-section (1) of section 122 voluntarily causes hurt, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to one year, or with fine which may extend to ten thousand rupees, or with both.

Section-351(2) Whoever commits the offence of criminal intimidation shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.

Section- 352- Whoever intentionally insults in any manner, and thereby gives provocation to any person, intending or knowing it to be likely that such provocation will cause him to break the public peace, or to commit any other offence, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.

Section- 109 (1)- Whoever does any act with such intention or knowledge, and under such circumstances that, if he by that act

caused death, he would be guilty of murder, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine; and if hurt is caused to any person by such act, the offender shall be liable either to imprisonment for life, or to such punishment as is hereinbefore mentioned.

Section- 3(5)- When a criminal act is done by several persons in furtherance of the common intention of all, each of such persons is liable for that act in the same manner as if it were done by him alone.

8. आवेदक/अभियुक्त पर आरोप है कि, उसने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर वादी मुकदमा तथा उसके साथी दीपक को जान से मारने की धमकी देते हुये चाकू से वार किया। आवेदक/अभियुक्त की ओर से माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में क्रि0 मि0 रि0 पिट नम्बर 18971/2025 दाखिल की थी, जिसमें दिनांक 09–09–2025 को चार्जशीट दाखिल होने तक उसकी गिरफ्तारी पर रोग लगाये जाने का आदेश पारित किया गया था। बाद विवेचना विवेचक द्वारा आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है, जिसपर विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुरादाबाद द्वारा दिनांक 13–11–2025 को प्रसंज्ञान लिया जा चुका है और मामले में आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध समन निर्गत किये जा रहे हैं। जहॉ तक सह अभियुक्त दीपक टूंटा के अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या– 3340/2025 के दिनांक 10–10–2025 को निरस्त किये जाने का प्रश्न है, तो वह दौरान विवेचना प्रस्तुत किया गया था और वर्तमान अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रसंज्ञान लिये जाने के उपरान्त प्रस्तुत किया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था सतेन्द्र कुमार अन्तिल बनाम सी0बी0आई0 में पारित दिशा निर्देशों के आलोक में आवेदक/अभियुक्त नमन चौहान को विवेचना के समाप्त होने के उपरान्त अभिरक्षा में रखने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा विचारण में सहयोग किये जाने का कथन किया गया है।

9. उपरोक्त समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यह न्यायालय गुण–दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना आवेदक/अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र सशर्त स्वीकार करने का पर्याप्त आधार पाता है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त नमन चौहान की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त को निम्नांकित शर्तों के अधीन अग्रिम जमानत प्रदान की जाये :–

I- आवेदक/अभियुक्त प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मामले के तथ्यों से भिज्ञ व्यक्ति को कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे कि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या पुलिस अधिकारी को प्रकट न करने के लिये मनाया जा सके।

II- आवेदक/अभियुक्त न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

III- आवेदक/अभियुक्त अग्रिम जमानत पर छूटने के बाद पुनः कोई अपराध कारित नहीं करेगा।

IV- आवेदक/अभियुक्त अग्रिम जमानत पर छूटने के बाद आरोप विरचित किये के समय, साक्ष्य अभिलिखित किये जाने व दं0प्र0संहिता की धारा–313 के कथनों को अंकित किये जाने के समय कोई स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करेगा तथा आरोप विरचित किये जाने व दं0प्र0संहिता की धारा–313 के कथनों के समय व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा तथा शेष अन्य तिथियों पर नियमित रूप से व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा और उनके बिना किसी यथोचित कारण के अनुपस्थित रहने पर विचारण न्यायालय उसके विरूद्ध धारा–229ए भा0दं0संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र होगा।

V- आवेदक/अभियुक्त विचारण के शीघ्र निस्तारण में पूर्ण सहयोग करेगा।

VI- आवेदक/अभियुक्त अपने आधार कार्ड या स्थाई निवास प्रमाण–पत्र की सत्यप्रति दाखिल करेगा।

अतः सम्बन्धित न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि, जैसे ही आवेदक/अभियुक्त को इस अपराध में गिरफ्तार किया जाये अथवा उनके द्वारा न्यायालय में आत्म समर्पण करने की स्थिति में, आवेदक/अभियुक्त द्वारा मुवलिग 1,00,000/–रूपये के दो विश्वसनीय प्रतिभू एवं समान धनराशि के व्यक्तिगत बन्ध–पत्र प्रस्तुत करने पर उसे उपरोक्त शर्तों के अधीन अग्रिम जमानत पर छोड़ दिया जाये।

इस आदेश की एक प्रति सम्बन्धित न्यायालय को प्रेषित की जाये।

दिनांकः 12–06–2026

(अंचल लवानियॉ)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं0–4, मुरादाबाद।

Digitally signed by Anchal
Date: 2026.06.12 17:21:46 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court